न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 03/2025 शस्त्र अधिनियम्
GCMS No. 2025/109

हवा सिंह पुत्र श्री देवकरण जाति जाट निवासी राधाबाड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

——— अपीलान्ट

—बनाम—

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजक।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री हनुमान सिंह — अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह — अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष की ओर से।

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

निर्णय

दिनांकः 13.11.2025

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 09.07.2019, जिसके द्वारा अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट चूरू के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2019 पारित करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी ।
4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने अपने नाम से नवीन आर्म्स लाईसेंस हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ने शस्त्र संचालन प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, वचन बंध पत्र पेश नहीं किये जाने तथा जीवन को खतरे से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नही किये जाने को आधार बनाते हुए खारीज कर दिया, जबकि आवेदन कर्ता के पुत्र की हत्या हुई थी तथा धमकी दी गई थी। एफ.आई.आर. और चार्जशीट की प्रति पेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों पर गौर नहीं करके केवल औपचारिक पत्र/आदेश जारी किया है। अपीलांट द्वारा अपने शस्त्र लाईसेंस आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र, शपथ–पत्र इत्यादि दस्तावेज पेश किए गए थे तथा आवदेन पत्र में अपने जीवन को खतरा जानते हुए आत्मरक्षा एवं एवीडेंस स्टेप में सुरक्षा बाबत शस्त्र लाईसेंस जारी करने हेतु स्पष्ट रूपसे बताया गया था। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलांट का आवदेन पत्र निरस्त फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलाधीन आदेश पारित करने के कोई Reason व Ground अंकित नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय एक Quasi Judicial Authority को अपने आदेश में, आदेश पारित करने के Reason व Ground अंकित करना अनिवार्य है। अपीलाधीन आदेश/पत्र साईक्लो स्टाईल ऑर्डर है, जिसमें ज्यूडिशियल माईण्ड अप्लाई नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र/आदेश में पुलिस जांच रिपोर्ट के बाबत भी कोई उल्लेख नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

5. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2019 पारित करते हुए अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को चिकित्सा प्रमाण पत्र, शस्त्र संचालन प्रमाण पत्र व वचन बंध पत्र के अभाव में तथा शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता हेतु कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश न्यायोचित हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चूरू ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2019 पारित करते हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को चिकित्सा प्रमाण पत्र, शस्त्र संचालन प्रमाण पत्र व वचन बंध पत्र के अभाव में तथा शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता हेतु कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया। अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष अन्य कोई साक्ष्य व सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर विचार किया जा सके। अतः न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि व्यापक लोक शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चूरू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2019 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

7. तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर